



☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622

फेक्स : 07582 - 222070, 224543

E-mail : dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक / 128 / स्टेनो / 2020

सागर, दिनांक 19-04-2020

आदेश

बुन्दलेखण्ड मेडीकल कॉलेज सागर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के पॉजिटिव प्रकरण प्राप्त हुए हैं, अतः उक्त संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की आशंका को निर्मूल करने की दृष्टि से मैं, **प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सागर** एतद्वारा द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न क्षेत्रों 1-नगर निगम सागर, 2-छाबनी परिषद केन्ट क्षेत्र सागर 3-नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया में दिनांक 19-04-2020 को दोपहर 2.00 बजे से दिनांक 21-04-2020 को रात्रि 12.00 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित करते हुए पूर्ववर्ती आदेश में उल्लेखित लॉकडाउन के अपवादों तथा प्रतिबंधों में शिथिलता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करती हूँ। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया/चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस टोटल लॉकडाउन आदेश में केवल निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- 1- दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी।
- 2- दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेंगे।
- 3- रसोई गैस (LPG) की एजेंसियां खुली रहेगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी।
- 4- समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
- 5- अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम इत्यादि उससे मुक्त रहेंगे।
- 6- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर इससे मुक्त रहेंगे।
- 7- मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयों, एटीएम कैश, एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल का परिवहन करने वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेगा।

चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 19-04-2020 को दोपहर 2.00 बजे से दिनांक 21-04-2020 को रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 19-04-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी



(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अपर जिला दण्डाधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम जिला सागर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. मुख्य अधिषासी अधिकारी, छाबनी परिषद केन्ट सागर की ओर सूचनार्थ ।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. समस्त जिला अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. स्टेनो टू-कलेक्टर सागर की ओर सूचनार्थ ।
13. उप संचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशनार्थ ।



कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म०प्र०)